

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

रामरतन सौंकरिया

आर.ए.एस.

तारीख निर्णय

06.11.2025

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

90/2025 प्रा.पत्र/2025

06.10.2025

जीसीएमएस नं० 202/2025

डॉ० मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज०।

.....प्रार्थी

बनाम

1-श्री सौरभ कुमार जिन्दल पुत्र श्री श्याम कुमार जिन्दल एफ.बी.ओ. मैसर्स विनायक दूध डेयरी गणेश रोड देवली जिला टोंक निवासी कुन्दन समिति डॉ० जेतवाल क्लिनिक के पीछे ज्योति कॉलोनी देवली जिला टोंक(राज०)। पिनकोड-304804 मोबाईल नं० 9950033344

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अप्रार्थी श्री सौरभ कुमार जिन्दल स्वयं उप०।

:-निर्णय:-

दिनांक 06/11/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.04.2025 को समय 03:11 पी.एम. पर मैसर्स विनायक दूध डेयरी गणेश रोड देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपरायटर की हैसियत से श्री सौरभ कुमार जिन्दल पुत्र श्री श्याम कुमार जिन्दल अपने प्रतिष्ठान मैसर्स विनायक दूध डेयरी गणेश रोड देवली जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ दूध व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री सौरभ कुमार जिन्दल पुत्र श्री श्याम कुमार जिन्दल को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सौरभ कुमार जिन्दल पुत्र श्री श्याम कुमार जिन्दल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, श्री सौरभ कुमार जिन्दल की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में घी, दूध, दही छाछ आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ-साथ घी खुला (Ghee Loose) दुकान में स्टील की केन में लगभग 15-17 किलोग्राम रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री सौरभ कुमार जिन्दल पुत्र श्री श्याम कुमार जिन्दल को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री सौरभ कुमार जिन्दल पुत्र श्री श्याम



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

निदेशक रेफरल फूड मैरसूर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट नं० एफटी/एक्यूसीएल/एफएसएसए/942एफ/2025 दिनांक 29.08.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया घी खुला (Ghee Loose) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के धारा 3(1)(ZX) के अनुसार अवमानक (Sub-standard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री सौरभ कुमार जिन्दल स्वयं उपस्थित हुए। अप्रार्थी ने बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस घी खुला (Ghee Loose) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया घी खुला (Ghee Loose) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 50,000/- (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/11/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(रामरतन श्रीकारिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज